Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चितौडगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी एवं बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ को 70,000/- रूपये नगद व 1,40,000/- रूपये का चैक कुल 2,10,000/- रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 05 फरवरी 2026, गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चित्तौडगढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए **पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ एवं बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सिंहपुर, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़** को **70,000/- रूपये नगद व 1,40,000/- रूपये का चैक कुल 2,10,000/- रूपये** की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस, श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चित्तौडगढ़ को एक शिकायत इस आशय की मिली कि ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौडगढ़ के ग्राम विकास अधिकारी पारस राम विश्नोई एवं कनिष्ठ सहायक बाबु लाल शर्मा द्वारा परिवादी द्वारा ग्राम पंचायत सिंहपुर के अन्तर्गत विकास कार्यों के तहत 12,80,000/- रूपये के कार्य करवाये जिनका परिवादी के फर्म के माह मई व जुन 2025 के 07 बिलों का ऑन लाईन फिडिग कर भुगतान करने की एवज में 2,10,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चित्तौडगढ़ के **उप अधीक्षक पुलिस श्री हरिश्चन्द्र सिंह** के नेतृत्व में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी पारस राम विश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी एवं श्री बाबु लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक को परिवादी से 70,000/- रूपये नगद व 1,40,000/- रूपये का चैक कुल 2,10,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के **महानिरीक्षक पुलिस, श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में आरोपी से पुछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज अग्रिम अनसंधान किया जायेगा।